

न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

दॉ.पुनरीक्षण क.-01/17

संस्थित दिनांक-02.01.2017

श्रीमती रिकी उर्फ शैली पत्नी देवेन्द्र
पुत्री अरविन्द्र पारासर आयु 21 साल
जाति ब्राह्मण निवासी हाल पाठकपुरा, थाना
चित्रहाट तहसील व जिला आगरा (उ0प्र0)

.... पुनरीक्षणकर्ता

वि रु द्ध

देवेन्द्र शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा आयु 22 वर्ष
जाति ब्राह्मण व्यवसाय सिक्थोरिटी गार्ड,
निवासी खुमान का पुरा मजरा गुरीखा,
थाना मालनपुर परगना गोहद, जिला भिण्ड
(म0प्र0)

..... प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री गब्बर सिंह गुर्जर अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।

// आदेश //

(आज दिनांक 27.04.2017 को पारित)

- यह पुनरीक्षण याचिका धारा-399 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 13/2016 उनवान रिकी उर्फ शैली एवं अन्य बनाम देवेन्द्र में पारित आदेश दिनांक 17.10.16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा आवेदक क्रमांक 02 प्रशान्त के संबंध में आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है परंतु पुनरीक्षणकर्ता रिकी उर्फ शैली का अंतरिम भरण पोषण की राशि दिलाए जाने का आवेदन आंशिक रूप से अस्वीकार करते हुए रिकी उर्फ शैली को अंतरिम भरण पोषण की राशि दिलाए जाने का आदेश नहीं दिया गया है।

2. मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ता रिकी उर्फ शैली के द्वारा विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन अंतर्गत धारा-125 दं.प्र.स. प्रस्तुत करते हुए यह अभिवचन किया कि उसका विवाह 20.11.2013 को अनावेदक देवेन्द्र से हुआ था। विवाह के बाद अनावेदक देवेन्द्र व उसके परिवार वाले दहेज में मोटरसाइकिल तथा पचास हजार रुपये की मांग करने लगे तथा आवेदिका पर यह दबाव डालने लगे कि आवेदिका की छोटी बहन रुचि की शादी अनावेदक देवेन्द्र के भाई मुकेश के साथ करवा दी जाए, जिससे मना करने पर दिनांक 20.12.2014 को अनावेदक एवं उसके परिवार वालों ने आवेदिका का पूरा सामान अपने पास रखकर आवेदिका को घर से निकाल दिया। इससे पूर्व दिनांक 29.8.2014 को आवेदक क्रमांक 02 प्रशान्त का जन्म अस्पताल में हुआ परंतु अनावेदक व उसके परिवार वालों के द्वारा आवेदिका की कोई देख रेख नहीं की गई। आवेदिका अपने मां बाप के यहां ग्राम पाठक का पूरा में रह रही है, उसकी आय का कोई साधन नहीं है। अनावेदक देवेन्द्र मालनपुर में फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी कर 12,000/-रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता है। अनावेदकगण के पास उनकी मां के नाम से एक कृषि खाता है जिससे 1,50,000/-रुपये की आय होती है। आवेदिका का परित्याग बिना किसी उचित कारण के अनावेदक देवेन्द्र और उसके परिवार वालों ने कर दिया है। उक्त आधारों पर अनावेदक से स्वयं के लिए 3,000/-रुपये तथा अपने पुत्र प्रशान्त के लिए 3,000/-रुपये कुल 6,000/-रुपये भरण पोषण की राशि दिलाए जाने की प्रार्थना की गई। आवेदिका की ओर से अंतरिम आवेदन प्रस्तुत करते हुए अनावेदक से स्वयं के लिए 3,000/-रुपये तथा अपने पुत्र प्रशान्त के लिए 3,000/-रुपये कुल 6,000/-रुपये अंतरिम भरण पोषण की राशि दिलाए जाने की प्रार्थना की गई।
3. अनावेदक देवेन्द्र की ओर से आवेदिका के मूल आवेदन का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए, आवेदिका के द्वारा बताए गए तथ्यों से इन्कार किया है तथा यह व्यक्त किया है कि उसके व उसके परिवार वालों द्वारा कभी भी मोटरसाइकिल तथा पचास हजार रुपये की दहेज की मांग नहीं

की गई है। उसके बड़े भाई का विवाह हो चुका है। उसने व उसके परिवार वालों ने कभी भी आवेदिका की बहन रुचि से भाई का विवाह करने का दबाब नहीं बनाया है। अनावेदक व आवेदिका का विवाह प्रेम विवाह था। जो आवेदिका ने बिना किसी को बताए हुए अपने मां बाप की स्वेच्छा के बिना किया था, जिसमें आवेदिका के पड़ोसी वासुदेव ने कन्यादान किया था, इस कारण दहेज मांगने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। आवेदिका अपनी स्वेच्छा से अपने माता पिता के घर चली गई थी। अनावेदक सिक्योरिटी गार्ड की मजदूरी करता है, जिससे अपने माता पिता एवं पत्नी का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला पाता है। आवेदिका जे.पी. कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्य कर 3,000/-रुपए प्रतिमाह तथा ट्यूशन आदि कर 3,000/-रुपए प्रतिमाह इस प्रकार कुल 6,000/-रुपए प्रतिमाह की आय अर्जित करती है। वह आवेदिका को अपने साथ रखने को तैयार है उक्त आधार पर मूल आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई। साथ ही आवेदिका के अंतरिम भरण पोषण के आवेदन का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यह मान्य किया गया कि इस चारण पर आवेदिका रिकी को अंतरिम भरण पोषण दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यह मान्य करते हुए रिकी के लिए अंतरिम भरण पोषण की राशि दिलाए जाने का आदेश नहीं किया केवल आवेदक क्रमांक 02 प्रशान्त के संबंध में 1,500/-रुपए अंतरिम भरण पोषण की राशि दिलाए जाने का आदेश किया। इस प्रकार आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की गई है।

5. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अपनी पुनरीक्षण में यह आधार लिया गया है कि आवेदिका को अनावेदक ने अपने साथ रहने से प्रथक कर दिया है प्रकरण के निराकरण में समय लगेगा ऐसी स्थिति में अंतरिम भरण पोषण के आवेदन को अमान्य करने में विचारण न्यायालय ने भूल की है। पति पर अपनी पत्नी तथा पुत्र के भरण पोषण का दायित्व है, ऐसी स्थिति में

बिना युक्तियुक्त आधार के आवेदिका को अंतरिम भरण पोषण की राशि दिलाए जाने से इन्कार किए जाने का आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है उक्त आधारों पर पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका को अंतरिम भरण पोषण की राशि 3,000/-रुपए प्रतिमाह दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक की ओर से व्यक्त किया है कि आवेदिका बिना किसी पर्याप्त करण के अनावेदक से प्रथक रह रही है। स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत रह कर 6,000/-रुपए प्रतिमाह की आया अर्जित कर रही है। इस कारण वह अंतरिम भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत एवं उचित आदेश पारित किया गया है। पुनरीक्षण निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

7. पुनरीक्षण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-
क्या विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.16 अशुद्ध, अवैध एवं अनौचित्यपूर्ण है? तथा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य है ?

सकारण निष्कर्ष

8. इस पुनरीक्षण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 13/16 के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया।
9. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा आवेदिका को अंतरिम भरण पोषण की राशि न दिलाए जाने का कोई स्पष्ट कारण अपने आलोच्य आदेश में नहीं लिखा है। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए तथ्यों एवं अभिवचनों से ही स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता/अवेदिका रिकी उर्फ शैली तथा अनावेदक देवेन्द्र शर्मा आपस में विवाहित पत्नी एवं पति है, आवेदक

क्रमांक 02 प्रशान्त उनका अवयस्क पुत्र है। प्रकरण में यह स्वीकृत है कि आवेदिका और अनावेदक प्रथक प्रथक रह रहे हैं तथा प्रशान्त आवेदिका के साथ रह रहा है।

10. विवाद केवल दो बिन्दुओं पर है प्रथम यह कि आवेदिका अनावेदक से प्रथक क्यों रह रही है। द्वितीय यह कि आवेदिका की स्वयं की कोई आय है अथवा नहीं। प्रथम तथ्य पूर्णतः गुणदोषों पर आधारित है जिनका निराकरण साक्ष्य के पश्चात किया जा सकेगा। परंतु द्वितीय तथ्य आय के संबंध में है जिसे कि प्रथम दृष्टि में देखा जा सकता है। आवेदिका ने अपने मूल आवेदन में पैरा-05 में यह अभिवचन किया है कि अनावेदक औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गार्ड की नौकरी कर 12,000/-रुपए प्रतिमाह की आय अर्जित करता है। अनावेदक देवेन्द्र ने इस तथ्य का स्पष्ट रूप से और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान नहीं किया गया है कि उसकी आय 12,000/-रुपए प्रतिमाह है। अपितु उसने सिक्थोरिटी गार्ड की नौकरी करना स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टि में यह स्वीकृत हो जाता है कि अनावेदक औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गार्ड की नौकरी कर 12,000/-रुपए प्रतिमाह की आय अर्जित करता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टि में वह भरण पोषण की राशि अदा करने में पूर्णतः सक्षम है।

11. जहां तक कि आवेदिका की आय का प्रश्न है, अनावेदक ने मूल आवेदन में लिखित उत्तर में पैरा-05 में यह बताया है कि आवेदिका **जे. पी. कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्य कर 3,000/-रुपए प्रतिमाह** तथा ट्यूशन आदि कर 3,000/-रुपए कुल 6,000/-रुपए प्रतिमाह की आय अर्जित करती है। जबकि अनावेदक की ओर से दिनांक 22.11.2016 को विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष **अनुभव प्रमाणपत्र** प्रस्तुत किया गया है। जिसमें यह तथ्य है कि कुमारी रिंकी पराशर पुत्री श्री सूधरे पराशर माताजी श्रीमती बिट्टी पराशर ने सत्र 2013 से सत्र 2015(दो वर्ष) में अध्यापन कार्य में **अच्छा सहयोग दिया** एवं पूर्ण रूप से अच्छे व्यवहार के साथ **स्कूल का सहयोग किया**।

12. इस प्रमाणपत्र में केवल सहयोग देने का उल्लेख है ऐसा कोई भी

उल्लेख नहीं है कि आवेदिका शिक्षिका के पद पर कार्य करती रही है। यह भी तथ्य नहीं है कि शिक्षिका के पद पर कार्य करते हुए उसने अमुख अमुख कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाया। यह भी उल्लेख नहीं है कि उसे अमुख वेतन प्राप्त होता था। प्रथम दृष्टि में यह मान लिया जाए कि उक्त अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने वाले न्यू हरे राम कॉन्वेंट स्कूल में ओवदिका यदि शिक्षक के पद पर कार्यरत थी, तब उसमें इस तथ्य का उल्लेख अवश्य होता। इस अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर प्रथम दृष्टि में ही यह प्रकट नहीं होता है कि आवेदिका शिक्षक के पद पर पदस्थ रही है।

13. उक्त अनुभव प्रमाणपत्र वर्ष 2015 तक का है। उसके पश्चात के दो वर्षों का कोई प्रमाणपत्र अनावेदक ने पेश नहीं किया है। दिनांक 07.09.16 को प्रस्तुत किए गए मूल आवेदन के लिखित उत्तर में जे.पी. कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्य करना बताया है और प्रमाणपत्र न्यू हरेराम कॉन्वेंट स्कूल का प्रस्तुत किया है। दोनों ही तथ्य बहुत अधिक विरोधाभासी है। इस प्रकार न तो शिक्षिका के पद पर कार्यरत होना प्रकट होता है, न उससे कोई आय होना प्रकट होता है और न ही वर्तमान में शिक्षिका के पद पर कार्यरत होना प्रकट होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टि में यह प्रकट नहीं है कि आवेदिका की कोई आय है। पति होने के नाते अनावेदक देवेन्द्र का भी यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भी भरण पोषण करे। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा आवेदिका रिकी के लिए अंतरिम भरण पोषण की राशि दिलाए जाने का आदेश न करते हुए वैधानिक त्रुटि कारित की है। अतः उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 17.10.2016 आवेदिका के संबंध में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आंशिक रूप से हस्तक्षेप किए जाने योग्य है।

14. अतः ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश दिनांक 17.10.2016 आवेदिका रिकी के संबंध में अंतरिम भरण पोषण की राशि नहीं दिए जाने की सीमा तक अपास्त किया जाता है। शेष आदेश जो कि आवेदक क्रमांक 02 प्रशान्त के संबंध में है यथावत रखा जाता है।

15. यह पुनरीक्षण स्वीकार की गई। उभयपक्ष के मामले को और संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आवेदिका रिंकी के लिए अनावेदक देवेन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतरिम भरण पोषण की राशि 1,000/-रुपए नियत की जाती है। आदेशित किया जाता है कि अनावेदक देवेन्द्र आवेदिका रिंकी उर्फ शैली को प्रतिमाह 1,000/-रुपए की अंतरिम भरण पोषण की राशि प्रत्येक माह की पांच तारीख तक प्रदान करे। इस आदेश का प्रभाव अंतरिम भरण पोषण के आवेदन को प्रस्तुत किए जाने की दिनांक 11.03.2016 से होगा।

16. इस आदेश की प्रति के साथ विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 13/16 का मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय की ओर भेजा जावे।

आदेश दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड